

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

**IN THE MATTER OF:**

**CHAUDHARY YASHWANT SINGH**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS**

**.....RESPONDENT(S)**

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
<b>1.</b>	<b>AFFIDAVIT ON BEHALF OF DFO, MIRZAPUR, U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 02.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI</b>	
	<b>ANNEXURES</b>	
<b>2.</b>	<b>COPY OF THE LETTER DT. 16.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1</b>	
<b>3.</b>	<b>COPY OF THE LETTER DT. 03.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2</b>	
<b>4.</b>	<b>COPIES OF PHOTOGRAPHS OF SAMPLING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3</b>	
<b>5.</b>	<b>COPY OF THE ORDER DT. 18.06.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4</b>	
<b>6.</b>	<b>COPY OF THE INQUIRY REPORT ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5</b>	

1182

*THROUGH COUNSEL*

A handwritten signature in blue ink, consisting of the name 'Bhanwar Pal Singh Jadon' written in a cursive style. The first letter 'B' is enclosed in a circle, and there is a long horizontal stroke extending from the end of the signature.

BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

Ph: 9639286572

**DATE: 08.10.2025**

**PLACE: NOIDA**



1183

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024



IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.....RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DFO, MIRZAPUR, U.H.N COMPLIANCE

OF THE ORDER DT. 02.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI



हरीना बाबा (उदाहरण)  
रजि. नं. UPO3882/17  
राज्य आयुक्त, मिर्जापुर

I, Rakesh Kumar aged about 42 years S/o Dr. Ram Lal.....  
presently posted as Divisional forest Officer, Mirzapur do hereby  
solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Deponent in the above captioned matter and am fully  
conversant with the facts of the case and is competent and authorized to  
swear the present affidavit.

*[Handwritten signature]*  
08/10/2025

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

**1. BACKGROUND OF THE MATTER**

3. That in the present matter, the grievance of the applicant is that the Project Proponent, Respondent no. 1 in collusion with the Uttar Pradesh State Highway Authority and other concerned officers of the State have illegally constructed/ operating toll tax plaza (toll free collection booth/hot-mix plant) at Village Belkhara, Pargana-Ahraura, Teshil Chunar, District Mirzapur on Arajhi No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

4. That the present matter was last listed for hearing on 02.07.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

*"4. Alongwith the report, Annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the Forest Department after removing the encroachment. In the map, Annexure A-6 (page 1157), the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158*

11/0/25  
हरीना बनो (डबकट)  
रजि० नं० UPO3862/17  
शपथ आयुक्त, मीरजापुर

11/0/2025

onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantify the value of damage in monetary terms."

## II. CONSTITUTION OF THE THREE-MEMBER COMMITTEE

5. That in compliance of the aforesaid directions, the Deponent vide letter 16.07.2025 constituted a three-member committee for the quantification and assessment of damage caused to the forest and forest property due to encroachment made by the opposite party, **A.C.P. Toll Plaza**, over **4.00 hectares of forest land** vacated by the Mirzapur Forest Division, Mirzapur.

6. The composition of the said inquiry committee is as follows:

Name	Designation	Forest Division	Role
Shri Vivek Yadav	Divisional Forest Officer	Bhadohi Forest Division	Chairman
Shri SheikhMuazzam	Sub-Divisional Forest Officer	Mirzapur Forest Division	Member
Shri Dimandu Srivastava	Range Forest Officer	Mirzapur Forest Division	Member

हसीना बाना एडवोकेट  
रजि० नं० UP03862/17  
अपर आयुक्त, भीरगापुर

16/07/2025

A Copy of the letter dt. 16.07.2025 has been annexed herewith as  
**ANNEXURE R-1.**

### III. REPORT OF THE COMMITTEE

7. That the Divisional Forest Officer, vide letter dt. 03.10.2025 provided the report of the Inquiry Committee.

A Copy of the letter dt. 03.10.2025 has been annexed herewith as  
**ANNEXURE R-2.**

हसीना बानो एडवाकेट-  
रजि० नं० UP/03862/17  
भाषा आयुक्त, मीरजापुर

8. That the said inquiry committee conducted a site inspection on **12.09.2025**. Upon inspection, the committee observed that although no substantial damage was caused to most parts of the forest area, a **pathway and temporary structures** had been constructed on certain parts of the land, resulting in an absence of trees there. The total area under these structures and access roads was found to be upon the **0.41 hectare**. The Sub-Divisional Forest Officer and Range Forest Officer informed that departmental proceedings have already been initiated with respect to the illegal encroachment.

9. It is evident that due to the construction of access roads, buildings, and other structures, the area where trees were naturally present now lacks forest cover over **0.41 hectare**.

  
08/10/2025

### 10. (A) Assessment of Damage to Forest Cover/ Trees

That for estimation, **four sample plots of 0.1025 hectare each (totaling 0.41 ha)** were selected in the encroached area. The tree species observed in each sample plot are listed below. The abundance and diameter class of four major species were analyzed to arrive at final conclusions.

Sample Plot Species Data

S. No.	Plot	Teak (Sagaun)	Shisham	Neem	Siris	Guava	Desi Babul	Amla	Total
1	01	101	19	11	9	8	7	7	162
2	02	79	21	13	11	9	9	8	150
3	03	87	23	17	12	13	11	9	172
4	04	66	18	20	20	17	16	15	172
<b>TOTAL</b>		333	81	61	52	47	43	39	656

Copies of photographs of Sampling have been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

11. Therefore, average number of trees per sample plotting:

- Teak (Sagaun): 333
- Shisham: 81
- Neem: 61
- Siris: 52
- Guava: 47
- Desi Babul: 43

*Handwritten signature and date: 08/10/2025*

*Handwritten notes:*  
 हरीना  
 रजि. नं. UPU3862/17  
 प्रा.प. आयुक्त, मीरजापुर  
 08/10/25

- Amla: 39

12. Thus, an average of **656 trees** were found upon the 0.41 hectare area.

13. That the diameter class of the abovementioned species of trees was found to be approximately 10-20, 10-20, 20-30 and 10-20 respectively.

**14.(B) Valuation of Damage in the Encroached Area**

S. No.	Tree Species	Diameter Class (cm)	Notified Rate (₹/tree)	Average No. of Trees	Total Amount (₹)
1	Teak (Sagaun)	10-20	903	333	3,00,699
2	Shisham	10-20	903	81	73,143
3	Neem	20-30	404	61	24,644
4	Siris	10-20	309	52	16,068
5	Guava	10-20	267	47	12,549
6	Desi Babul	10-20	267	43	11,481
7	Amla	10-20	267	39	10,413
<b>Total</b>					<b>4,49,997</b>

15. Accordingly, the total economic loss for all species is Rs. 4,49,997.

16. That the above-mentioned rates have been determined as per the notified schedule of rates issued by the Office of the Chief Conservator of Forests,

हरीना बानी एडवाइजर  
रजि. नं. UP03862/17  
शांभू आशुक्त, मीरजापुर

08/10/2015

Mirzapur, vide Order no. 5078/Mirzapur/37 (Rates) dated 18.06.2025, applicable to different tree species.

A Copy of the Order dt. 18.06.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

17. That based on these scheduled rates and tree diameter categories, the monetary valuation of damage has been carried out. Considering the ecological loss caused due to illegal encroachment and damage to trees in a Reserved Forest Area, it is deemed appropriate to impose a penalty equivalent to ten times the estimated loss, i.e., Rs. 44,99,970.

A Copy of the Inquiry Report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

18. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

19. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.


  
 08/07/2025

8/7/25  
 हे.पी.ना. बानो एडवोकेट  
 रजि. नं० UP03862/17  
 शांघ आर्युक्त, मीरजापुर

  
08/10/2025  
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_ day of October, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 19 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

हरीना बानो एडवोकेट  
रजि० नं० UP03862/17  
शापथ आवुक्त, मीरजापुर

  
08/10/2025  
DEPONENT  


भारत सरकार  
Government of India




राज्य



आधार - आजीवन का अधिकार

भारत सरकार  
Government of India



आधार

पता: आत्मज: राम  
रामाश्रम कॉलोनी,  
जौनपुर, अरजी  
जौनपुर कटी.

S/O: Ram Lal, 1730 F,  
COLONY, MANDI AHMAD  
Arazi Newada,  
Uttar Pradesh.

1947  
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।  
पत्रांक- 240 / मीरजापुर / 10रिट / दिनांक, मीरजापुर, जुलाई 16, 2025

## कार्यालय आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०- 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम युनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या-4, जो निम्न प्रकार है:-

".....4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment. In the map, Annexure A-6 (Page 1157), the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantify the value of damage in monetary terms."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.07.2025 के क्रम में मीरजापुर वन प्रभाग द्वारा खाली कराये गये 4.00 हे० अतिक्रमण पर विपक्षी ए०सी०पी० टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के मात्राकरण एवं मूल्यांकन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	प्रभाग का नाम	
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोही वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति स्थलीय सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 240 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- 1-श्री विवेक यादव, प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग।
- 2-श्री शेख मुअज्जम, उप प्रभागीय वनाधिकारी (मीरजापुर) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।
- 3-श्री हिमांशु श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

क-दा  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर  
16/07/25

जान विद्या  
16/7/25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग, भदोही  
पत्रांक- 862 /33-1/ज्ञानपुर दिनांक, अक्टूबर, 03 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र,

मीरजापुर।

विषय - मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 नं0 112/2024 से संबंधित जांच आख्या।

संदर्भ - आपका कार्यालय पत्रांक 240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर- 112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के क्रम में मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा खाली कराये गये 4.00 हे० भूमि अतिक्रमण पर विपक्षी ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के मात्राकरण व मूल्यांकन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया था।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	प्रभाग का नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोही वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उक्त आदेश के क्रम में गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 16.09.2025 को मौके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षणोंपरान्त ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति का मूल्यांकन कर क्षति की धनराशि व जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में सलंगन कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(हिमांशु श्रीवास्तव)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
मीरजापुर वन प्रभाग,

  
(शेख मुअज्जम)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

  
(विवेक यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 5078 / मीरजापुर / 37(अनु0दर) दिनांक, मीरजापुर, जून 18 - 2025

स्थाई आदेश

इस क्षेत्र के विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी आदि की अनुसूची दरों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई मंहगाई, बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षों के अनुसूची दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। वर्ष 2025-26 में अनुसूची दरों के पुनरीक्षण हेतु इस क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रभागीय वनाधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण के वृक्षों, जलौनी लकड़ी एवं बांस आदि के लिए अनुसूची दरों का निर्धारण किया गया। उक्त दरें दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी होगी।

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 5078 अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की अनुसूची दरें जो संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं यह दरें निर्धारित तिथि से प्रभावी होगी। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 5078 ब / समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- समस्त वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

राजस्व  
कर  
31/06/25

रजिस्टर क्रमांक 7958  
फाईल सं०  
दिनांक 24-6-25

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर**

पत्रांक- 45 / मीरजापुर / 37 राजस्व / मीरजापुर, दिनांक, जुलाई 04, 2025

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की अनुसूची दर संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व मीरजापुर।
2. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

(राकेश कुमार)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

वृक्ष प्रजाति का नाम	डायामीटर से0मी0/इंच/डी0बी0एच0(1.37 मी0)								
	से0मी0	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से उपर
	इंच	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28 से उपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शीशम		360	903	4241	10609	21224	45989	64321	91979
सागौन		360	903	4241	14150	42448	63672	83617	91979
महुआ, सिरस, इमली, नीम, आम, जामुन		119	404	1643	3962	9906	19810	25960	30083
यूकेलिप्टस		103	404	1982	3550	5283	7910	12007	18489
विभिन्न प्रजाति		54	267	1318	2641	4138	6603	9605	14575

नोट:- 1. उपरोक्त दरें हरे या उखड़े प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के लिए होगी।

2. सूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होगी।

3. उपरोक्त दर डी0बी0एच0(1.37 मी0) के आधार पर हैं।

### सडक के किनारे वृक्षों का छोड़कर अन्य स्थानों पर

वृक्ष प्रजाति का नाम	डायामीटर से0मी0/इंच/डी0बी0एच0(1.37 मी0)								
	से0मी0	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से उपर
	इंच	0-4	4-8	8-12	12-16	16-20	20-24	24-28	28 से उपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सागौन		170	838	1485	9906	33017	46224	64274	83189
साल एवं साखू		91	625	1382	7660	21455	30522	46224	59284
शीशम, विजयसाल		85	404	989	6603	19810	26414	39621	55469
आसन, सेन, तेन्दू, महुआ, हल्दू, सादन, जामुन, आम, सिरस		62	309	1226	3697	9671	18387	24506	31873
धौ, करघई, चिरोजी, अमलतास, गुरही, कहु, सिद्ध, प्रसिद्ध		48	235	639	1835	3669	9186	12254	15937
खैर		91	625	3669	10729	24506	36686	49013	63760
सेमल		62	309	910	2935	6017	8511	11034	14337
चिलदिल, कजु		62	377	910	2935	4161	8511	11034	14337
सलई		62	250	910	2451	4900	7337	9186	11961
बैरंग, मरकुल		62	250	610	2451	4900	7337	9789	12752
यूकेलिप्टस		91	309	1835	2935	4900	8585	12254	15937
कुकाठ		30	125	551	919	1835	2935	4900	6309

नोट:- 1. उपरोक्त दरें हरे या उखड़े प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के लिए होगी।

2. सूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होगी।

3. उपरोक्त दर डी0बी0एच0(1.37 मी0) के आधार पर हैं।

4. बॉस 1717.00 रुपया प्रति सैकड़ा।

5. कोरैया 45 रुपया प्रति सैकड़ा।

6. 571.00 रुपया प्रति कुत्तल।

7. 714 रुपया प्रति साइकिल।

8. 2862 रुपया प्रति बैलगाड़ी।

9. 85 रुपया प्रति सरबोझ।

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 के बिन्दु संख्या-4 में निम्न आदेश दिया गया है-

".....4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment- In the map, Annexure A-6 (Page 1157),the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantity the value of damage in monetary terms."

उक्त आदेश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर ने अपने पत्र संख्या-240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025 द्वारा जांच समिति गठित की गयी। गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 12.09.2025 को चुनार रेंज के अर्न्तगत ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा 4.00 हे0 वन भूमि पर पूर्व में अतिक्रमित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।




ए0सी0पी0 टोल प्लाजा व वन क्षेत्र का नजरी नक्शा

Q

Signature

T

निरीक्षण के उपरान्त कमेटी द्वारा अतिक्रमित क्षेत्र के अर्न्तगत यह पाया गया कि अधिकांश भाग में वन क्षेत्र को हॉनि नहीं पहुचाई गयी थी परन्तु उक्त भूमि में पहुच मार्ग व अस्थायी भवनों का निर्माण की गयी थी जिसके कारण वहाँ पर किसी प्रकार का वृक्ष नहीं पाया गया। उक्त पहुँच मार्ग व भवन के अर्न्तगत कुल क्षेत्रफल 0.41 हे० पाया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस पर विभागीय कार्यवाही करते हुए रेंज केस संख्या 01/2024-25/चुनार, ए.सी.पी. टोलवेज के विरुद्ध अवैध अतिक्रमण के संबंध में इजरा किया गया है।



द०-वन विभाग द्वारा अतिक्रमण से अवमुक्त कराये गये क्षेत्र व इससे लगे हुए क्षेत्र की स्थिति जो वर्तमान में ए०सी०पी० टोल प्लाजा के स्वामित्व में है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि पहुँच मार्ग व भवन व अन्य संरचनाओं के निर्माण के कारण वहाँ पर स्वभाविक रूप से वृक्षों को विद्यमान होना था परन्तु अतिक्रमण/निर्माण के कारण उक्त 0.41 हे० क्षेत्र पर वनावरण नहीं पाया गया।

(A) वन क्षेत्रों में वनावरण/वृक्षों को हुई क्षति की गणना निम्न प्रकार की गयी।

अतिक्रमित 4.00 हे० भूमि पर चार विभिन्न स्थानों पर 0.10 हे० के नमूना प्लॉट (sample plot) चयनित किए गए। इन प्लॉटों में पाई गई प्लाटवार प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है। चार प्रमुख प्रजातियों की प्रचुरता एवं उनके व्यास वर्ग (Diameter Class) का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया।

क्र०सं०	प्लाट संख्या	नमूना प्लॉट (sample plot) में पायी गयी प्रजातियों की संख्या							योग
		सागौन	शीशम	नीम	सिरस	अमरुद	देसीबबूल	आँवला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	101	19	11	9	8	7	7	162
2	02	79	21	13	11	9	9	8	150
3	03	87	23	17	12	13	11	9	172
4	04	66	18	20	20	17	16	15	172
योग-		333	81	61	52	47	43	39	656

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रतिनमूना प्लॉट (sample plot) औसतन पायी गयी प्रजातियों का विवरण :-

- सागौन-333 पौध प्रति नमूना प्लाट
- शीशम-81 पौध प्रति नमूना प्लाट
- नीम-61 पौध प्रति नमूना प्लाट
- सिरस-52 पौध प्रति नमूना प्लाट
- अमरूद-47 पौध प्रति नमूना प्लाट
- देसीबबूल-43 पौध प्रति नमूना प्लाट
- आँवला-39 पौध प्रति नमूना प्लाट

इसप्रकार 0.41 हे०  
में औसतन 656 वृक्ष  
पाये गये।

उपरोक्त नमूना प्लॉट (sample plot) में पाये गये सागौन, शीशम, अमरूद, देसी बबूल, नीम, सिरस व आँवला प्रजातियों का औसतन गर्त लगभग क्रमशः 10-20, 10-20, 20-30 व 10-20 व्यास श्रेणी के पाये गये।

(B) उक्त अतिक्रमित क्षेत्रफल में हुई हानि का आगणन निम्न प्रकार किया गया है -

क्रम संख्या	वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी	अनुसूचितदर (रु०) प्रति पौध	औसतन वृक्षों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सागौन	10-20	903	333	300699
2	शीशम	10-20	903	81	73143
3	नीम	20-30	404	61	24644
4	सिरस	10-20	309	52	16068
5	अमरूद	10-20	267	47	12549
6	देसी बबूल	10-20	267	43	11481
7	आँवला	10-20	267	39	10413
योग-					449997

तदनुसार कुल आर्थिक हानी हुई समस्त प्रजाति का दर = 449997 रुपये।


उपरोक्त समस्त दरें मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, मीरजापुर द्वारा पत्र संख्या 5078/मीरजापुर/37(अनुदर) दिनांक 18 जून 2025 के माध्यम से निर्गत दरों के अनुसार विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की अनुसूचित दरें अधिसूचित की गई हैं।

तदनुसार संबंधित वृक्ष प्रजाति की अनुसूचित दर का निर्धारण किया गया। उक्त वृक्ष प्रजातियों का आर्थिक मूल्यांकन वृक्षों की व्यास श्रेणी के आधार पर किया गया है।

आरक्षित वन क्षेत्र में वन अपराध कारित करनें हुये वृक्षों को हुई क्षति के दृष्टिगत उक्त हानि का दस गुना अर्थ दण्ड अर्थात् रु० 4499970.00 अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(हिमांशु श्रीवास्तव)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग

  
(शेख मुअज्जम)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

  
(विवेक यादव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
भदोही वन प्रभाग, भदोही